

2

EDN-H(21) B(11) 11/2014- SBA
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

20 MAR 2020
March 2020

Dated Shimla-171001:- the

From:- The Director of Higher Education
Himachal Pradesh

To

All the Deputy Directors of Higher Education/ Inspections,
In Himachal Pradesh.

Subject:- Regarding Adopting the Parameter/Elements of Swachhata Envisaged
In the Standard Operating Procedures for Sustaining Water, Sanitation
And Hygiene in Schools.

Memo,

Enclosed please find herewith a photocopy of letter No. F.27-18/
2019- IS. 9 (Part.1) , Dated 20-01-2020 (along with its enclosures- 24 pages) received from
the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development,
Government of India , through the Principal Secretary , (Education) to the Government of
Himachal Pradesh regarding the subject cited above .

In this regard it is to inform that the Government of India has
suggested to forward a copy of Standard Operating Procedures (SOPs) for ensuring availability
of the SOPs on Swachhata in all schools. These SOPs should be circulated for the better
understanding of the students and teachers in schools, if not done earlier and may be adapted
by the schools as per the local requirement and need for prompting a safe and hygienic school
environment.

Therefore you are directed to ensure the implementation of these
directions/ guidelines from the field functionaries in letter and spirit. You are further directed to
submit the action taken report of the activities undertaken under the above mentioned
programme in the Schools under your control, to this office before 30th April 2020 positively .
Encl:- 24 Pages.



(Dr. Amarjeet K. Sharma)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh

20 MAR 2020
March 2020

Endst. Even - Dated Shimla-171001 the

Copy for information to:-

- 1 The Joint Secretary (School Education & Literacy) , MHRD , Govt. of India Shastri Bhawan
New Delhi- 110115.
- 2 The Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3 The Principal S.C.E .R.T. Solan / G.C.T.E. Dharam Shala to do the needful in the matter.
- 4 The Principals/ Headmasters in Govt. S. S. Schools/ Govt. High Schools in Himachal Pradesh
- 5 The Incharge I.T. Cell , Directorate of Higher Education to upload the letter in website.


Director of Higher Education
Himachal Pradesh

S 495 7757-EDB.
20-1-20 (17)

No.F.27-18/2019-IS.9(Part.I)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
IS.9 Section

Dated 20th January, 2020.

To

The Principal Secretaries/ Secretaries (Education) of all States/UTs.


Sub: Adopting the parameter/ elements of Swachhata envisaged in the SOP for sustaining Water, Sanitation & Hygiene in Schools – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter no. 27-11/2017-IS.9 dated 3rd May on the above subject and to say that a copy of Standard Operating Procedures (SOPs) for sustaining Water, Sanitation & Hygiene in schools, which were initially distributed during the National Award Ceremony for Swachh Vidyalaya Puraskar, 2016-17 held on 1st September, 2017, was forwarded vide above mentioned letter. SOP (Bilingual) is available online at www.seshagun.gov.in/majordocuments. A copy of SOP (Bilingual) is again forwarded herewith for ensuring availability of the SOPs on Swachhata in all schools. It is again requested to get the SOPs translated in regional language for better understanding by the students and teachers in schools, if not done so far.

2. The parameters/ elements of swachhata envisaged in the SOP may be adopted/ adapted by the schools as per the local requirement and need, for promoting a safe and hygienic school environment.

Yours faithfully,



(Alok Jawahar)

Under Secretary to the Government of India

Tel. No. 23381095

E-mail: alok.jawahar@nic.in

Encls. As above

S.S. (Edu - B+C)
28/1/2020
(Kao 29/1) Sh. Raj

Copy to:- SPDs, Samagra Shiksha of all States/UTs.

NIC, MHRD - for uploading this letter on website.

No.F.27-11/2017-IS.9
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
IS.9 Section

Dated rd 3 May, 2018.

To

The Principal Secretaries/ Secretaries (Education) of all States/UTs.

Sub:- Follow-up on the MoU signed between Ministry of WR, RD & GR and Ministry of HRD for implementing cleaning of river Ganga – regarding.

Madam/Sir,


I am directed to refer to the Memorandum of Understanding (MoU) signed between Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (WR, RD & GR) and Ministry of Human Resource Development (HRD) for implementing cleaning of river Ganga already circulated (copy enclosed).

2. A copy of Standard Operating Procedures (SOP) for sustaining Water, Sanitation & Hygiene in schools, which were earlier distributed during the Swachh Vidyalaya Puraskar, 2016-17 ceremony held on 1st September, 2017, is forwarded herewith for ensuring availability of the same in all schools. Hindi and English versions of the SOP is also available online at www.swachhvidyalaya.com. It is requested to get the SOP translated in regional language for better understanding by the students and teachers in schools.

3. The parameters/ elements of swachhata envisaged in the SOP may be adopted/ adapted by the schools as per the local requirement and need, for promoting a safe and hygienic school environment.

Encls. As above

Yours faithfully,



(Alok Jawahar)

Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 23381095

201700/2015/EE916 Edition

F.T.S. No - 2000+12016

dt. 11/02/2016

No. T-17/2015-16/1291/NMCG/93

National Mission for Clean Ganga

Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation
Government of India

I am the Nodal officer, pl. examine & put upon file.
(M.L.2)
Dir (CGO)
US (AJ)

3rd Floor, Rear Wing
Mahanagar Doorsanchar Sadan; 9, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi - 110003
Dated: 5th February 2016

Memorandum of Understanding (MoU) between participating Ministries for implementing cleaning of River Ganga

A copy of the Memorandum of Understanding (MoU) signed between various participating ministries for implementing cleaning of river Ganga is forwarded herewith for your reference and record.

JS (AJ) attended on file the MOU. (copy of the letter 11/2/16 A-lead below)

[Signature]
(Pushkal Upadhyay)
AMD (Admin)

Enclosure: As above.

12/2/16 To,
80/26-16
[Signature]
12/02
[Signature]
Dr. M.K.

1. Shri Alok Shrivastava, Joint Secretary, Ministry of Shipping, Parivahan Bhavan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110 001
2. Smt. Rina Ray, Addl Secretary, Dept. of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi
3. Shri R. Subrahmanyam, Addl. Secretary, Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi
4. Smt. Aparajita Sarangi, Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, Rafi Ahmed Kidwai Marg, Rajpath Area, Central Secretariat, New Delhi, Delhi 110001
5. Dr. R K Bhatnagar, Addl. DG, Ministry of Tourism, 1, Transport Bhawan, Connaught Place, Sansad Marg, New Delhi - 110 001
6. Shri Jitendra Sharma, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi - 110 023
7. Mej Gen Dilawar Singh, DG, NYKS, Ministry of Youth Affairs and Sports, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110 001
8. Shri Saraswati Prasad, Addl Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Paryavarn Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003

Copy to:

1. PPS to Secretary, Ministry of Water Resource River Development and Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001
2. Dr. B Rajender, Joint Secretary, Ministry of Water Resources, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, Sansad Marg Area, New Delhi, Delhi 110001

Swachh Bharat
Swachh Vidyalaya



सत्यमेव जयते

Government of India

Ministry of Human Resource Development



Department of School Education & Literacy



STANDARD OPERATING PROCEDURES

SUSTAINING WATER, SANITATION & HYGIENE IN SCHOOLS

मानक संचालन प्रक्रियायें (एस ओ पी)

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की सततता





स्वच्छ भारत

स्वच्छ विद्यालय

एक राष्ट्रीय अभियान



परिचय

मानव विकास, अन्य विकास के मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच की तुलना में जल और स्वच्छता तक पहुंच से अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ जल और स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), ने बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश, स्वच्छता सुविधाएं प्रदान कर और हर स्तर पर स्वच्छता को निरंतर प्रोत्साहित कर, वर्ष २०३० तक सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है (सतत विकास लक्ष्य, २०१५)।

स्कूलों में पर्याप्त सुरक्षित पानी सुनिश्चित करना, अच्छी तरह से संधारित स्वच्छता और हाथ धोने की सुविधा और व्यवहार एसडीजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसे स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता शिक्षा (वाश) के रूप में जाना जाता है। यह रणनीति बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भागीदारी के अधिकारों को पूरा करने में सहायक है, और एस डी जी को प्राप्त करने के लिए इसके विशेष महत्व, के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है - विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, बाल मृत्यु दर में कमी, जल और स्वच्छता में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति में। स्कूलों में वाश, न केवल स्वच्छता और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि स्कूलों में सुरक्षित जल व स्वच्छता सेवाओं की न्यायसंगत व स्थायी पहुँच को सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों में भी सहायक है।

देश में स्कूलों में वाश कार्यक्रम के लिए एक निर्णायक क्षण था, १५ अगस्त २०१४, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने, ६८ वे स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में स्कूलों में लडकियों के लिए शौचालयों को प्राथमिकता दी। "..... मैं आज ही एक शुरुआत करना चाहता हूँ। देश के सारे स्कूलों में लडकियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, तब ही हमारी बेटियों को बीच में पढाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। सरकार को इसके बजट को शौचालय के निर्माण में उपयोग करना चाहिए। मैं व्यवसाय जगत से भी आह्वान करता हूँ, कि आप व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत अपने बजट को स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर खर्च करें....."। उन्होंने स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए एक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया। शौचालय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लक्ष्य की उपलब्धि ने, शौचालय की कार्यशीलता और उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए आगे कार्य करने का मार्ग निर्धारित किया।



मानक संचालन प्रक्रिया

२०१४ में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" (एस बी एस वी) की पहल की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कार्यशील शौचालय उपलब्ध हैं। इस पहल में -

भारत में स्कूलों में वाश कार्यक्रम मकी यात्रा / पृष्ठभूमि

- ▶ २०१४ : माननीय प्रधानमंत्री ने स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों को प्राथमिकता दी।
- ▶ २०१४ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" की पहल का शुभारंभ।
- ▶ २०१५ : सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कार्यशील शौचालय प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि।
- ▶ २०१६ : स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत

वर्ष २०१६ भारत में स्कूलों में वाश कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने, स्कूल स्वच्छता के क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट कार्य की पहचान और सम्मान के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसबीवीपी) २०१६-१७ शुरू किया।


यूनिसेफ और प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से, एस बी पी का शुभारंभ इस क्षेत्र / सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से स्कूलों में वाश के लिए बेंचमार्किंग प्रणाली शुरू की गयी है। पांच सितारा (फाईव स्टार) रेटिंग प्रणाली के माध्यम से, यह स्कूलों को सहयोग करने का प्रयास करता है, जिससे कि वे अपनी वाश स्थिति का स्व मूल्यांकन करे, और इसे

सुधारने के लिए एक रोडमैप (योजना) का विकास करें। यह विद्यालयों, जिलों और राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को वाश संकेतकों - जल, शौचालय, साबुन से हाथ धुलाई, संचालन और रखरखाव और व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, पर उनके आदर्श प्रदर्शन के लिए पुरस्कर्ता और पहचान दिलाता है।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत यह भी सुनिश्चित करती है, कि सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) के अधिकारियों में - राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर पुरस्कार की आवश्यकताओं के अनुरूप, स्कूलों के उन्नयन के लिए आवश्यक कौशल का विकास हो।

वर्ष २०१६-१७ में यह पुरस्कार केवल शासकीय विद्यालयों के लिए प्रारंभ किये गये हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को २०१७-१८ में सी बी एस ई व अन्य राज्य बोर्डों से संबद्ध निजी विद्यालयों में भी लागू (एक्सटेंड) कर दिया गया है।

एक न्यूनतम स्वच्छ विद्यालय पैकेज





स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता

२.१. स्कूलों में वाश की आवश्यकता

स्कूल विभिन्न परिवारिक पृष्ठभूमि से आये बच्चों के लिए मिलने का एक मंच है, और यह संदूषित जल, भोजन, हवा और मिट्टी के संपर्क के माध्यम से संक्रमण (इन्फेक्शन) के संचरण के लिए प्रमुख केंद्र बन सकते हैं। विश्व में अनुसंधान ने प्रमाणित किया है, कि स्कूलों में सुरक्षित वाश प्रक्रियाओं की कमी, श्वसन संबंधी संक्रमण और आंतों - संबंधी रोगों, के लिए जिम्मेदार रोगाणु के संचरण को बढ़ावा देती हैं। वाश गतिविधि, इन रोगाणु संक्रमणों के प्रसार को रोकने हेतु, प्रभावी उपायों को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके।

यह पाया गया है कि स्कूल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान विकसित हुए व्यवहार और मनोभाव / दृष्टिकोण, जीवनपर्यंत व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वाश से संबंधित ज्ञान (नॉलेड्ज), जब शिक्षण पाठ्यक्रम में एकीकृत/ समावेश कर बच्चों को दिया जाता है, तो, यह उनके दैनिक जीवन में स्वच्छ प्रथाओं / व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जीवन कौशल- आधारित स्वच्छता शिक्षा, बच्चों को जल और स्वच्छता से संबंधित व्यवहारों के महत्व और इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यों / लिंक के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करती है।

स्कूलों में वाश एक एकीकृत हस्तक्षेप है, जिसमें स्कूलों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ, संचालन और रखरखाव (ओ अंड एम), स्वच्छता शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी, वित्तीय संसाधन और संस्थागत (इंस्टिट्यूशनल) व्यवस्था सुनिश्चित करना भी शामिल है।

मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों की उपस्थिति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु स्वच्छता तथा स्वस्थ वातावरण का रखरखाव महत्वपूर्ण है।

स्कूलों में वाश गतिविधि / हस्तक्षेप में शामिल होना चाहिए।

- ◆ कार्यशील और सुरक्षित जल आपूर्ति स्थान, जेण्डर अनुकूल पृथक शौचालय, हाथ धोने के स्थान, ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए प्रणाली।
- ◆ स्कूली बच्चों के लिए प्रमुख स्वच्छता व्यवहार पर केंद्रित, सहभागी शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए पूर्ण एकीकृत जीवन कौशल शिक्षा।
- ◆ वाश सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए परिवारों तथा समुदाय की भागीदारी।




स्वच्छ और स्वस्थ विद्यालय : अवसरों का चक्र

जल, सफाई और स्वच्छता सुविधायों पर व्यय स्कूल बच्चों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निवेश होता है। इससे बच्चों को अपनी पूर्ण संभावनाओं को साकार करने और एक स्वस्थ वयस्क जीवन के लिए तैयार होने में मदद मिलती है जिससे पूरे राष्ट्र को लाभ होता है।

हाथ धोने की आदत दस्त की घटनाओं में 30 प्रतिशत और वाश संबंधी बीमारियों में 96 प्रतिशत तक कम ला सकती है।

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था हो तो स्कूल में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण रचा जा सकता है और बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चा स्वस्थ होता है तो उसकी याददाशत, उसकी काम करने की क्षमता, भाषा और समस्या समाधान का कौशल तथा ध्यान एकत्र करने की अवधि में सकारात्मक सुधार आ जाता है।



बीमारियों के प्रसार को न रोक पाने से बच्चों के बौद्धिक विकास पर खतरा पैदा हो जाता है और उनके सामने स्कूल से गैरहाजिर रहने, स्कूल में समुचित प्रदर्शन न कर पाने और गरीबी की गर्त में फंसे रहने का एक निरंतर चक्र पैदा हो जाता है।

लडकों और लडकियों के लिए समावेशी और सहज उपलब्ध पृथक शौचालय सुविधाओं के होने से उन्हें प्राइवसी और सम्मान का आश्वासन मिलता है और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी ज्यादा आसानी से स्कूल जा सकते हैं। यदि लडकियों को स्कूल में सुरक्षित, साफ शौचालय और जल की सुविधा मिले तो माहवारी के दौरान उनकी गैरहाजरी की आशंका कम हो जाती है।

स्वच्छ भारत

स्वच्छ विद्यालय

एक राष्ट्रीय अभियान

२.२. शिक्षकों की भूमिका:

वाँश कार्यक्रमों में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका है। वाँश कार्यक्रमों की सफलता और निरन्तरता के लिए उनकी समर्पित-भागीदारी और व्यक्तिगत मान्यता महत्वपूर्ण है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, कि शिक्षक स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा के साथ-साथ, वाँश शिक्षा को नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के महत्व की सराहना और प्रसार करें। स्वच्छ विद्यालय की पहल को सतत बनाये रखने के लिए वाँश के घटकों और प्रथाओं पर शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है।

वाँश स्कूल में, एक अतिरिक्त विषय नहीं है, बल्कि एक जीवन कौशल शिक्षा है, जो बच्चों द्वारा उनके समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छ परिवेश / वातावरण में सुधार हेतु स्कूल, घर, और समुदाय में उपयोग किया जाता है।

बच्चे न केवल सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रसार भी करते हैं।



मानक संचालन प्रक्रिया



वाँश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

यह सेक्शन, स्कूलों में सतत लाभ के लिए, वाश की आसान समझ और क्रियान्वयन के चरण-दर-चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), स्वच्छ विद्यालय पैकेज के अनुपालन और बच्चों, अभिभावक और समुदाय को उपयुक्त जानकारी के आसानी से प्रसार करने में सहायक होगी।

3.1 पीने के जल के सुरक्षित रखरखाव के लिए एस ओ पी :

सुरक्षित जल, शारीरिक स्वस्थता के लिए महत्वपूर्ण है। सघन परीक्षण और उपचार, जल को मल और रासायनिक संदूषण से सुरक्षित रख सकता है। पर्याप्त जानकारी प्रदाय की जा सकती है, और अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं -

सैद्धांतिक ज्ञान Theoretical Knowledge	अपेक्षित परिणाम
<p>जहां संभव हो समुदायों को एक सुरक्षित स्रोत से जल लेना चाहिए और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना चाहिए।</p> <p>यदि स्रोत सुरक्षित नहीं है, तो पानी को उबालकर, छानकर, सौर या रासायनिक तरीके जैसे ब्लिचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट के माध्यम से अवश्य विसंक्रमित (डिसइन्फेक्ट) किया जाना चाहिए।</p>	<p>यदि स्रोत सुरक्षित नहीं है, तो बच्चों को पानी को उबालकर, छानकर सौर या रासायनिक तरीके से अवश्य विसंक्रमित (डिसइन्फेक्ट) करना चाहिए।</p>

जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय

- पानी के स्रोत को संदूषण से मुक्त होना चाहिये ।
- जल को लाने वाले पात्र / कंटेनरों को साफ पानी से धोना, मलना व साफ करना चाहिए और उपयोग किए जाने से पहले सूर्य की उपस्थिति में सुखाना चाहिए ।
- जल भंडारण करने वाले पात्र को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जल लाने के दौरान भी ।
- जल का उपयोग करने के लिए, लम्बे हैंडल वाले लोटे (लाडिल) या टॉटी का इस्तेमाल ।
- लम्बे हैंडल वाले लोटे (लाडिल) के उपयोग से पहले हाथ साफ करने चाहिए और उंगलियों को पानी में नहीं डूबाना चाहिए ।
- पीने का पात्र / गिलास को अधिकांशतः साझा नहीं किया जाना चाहिए । यदि आप अपना गिलास साझा करते हैं, तो आप अपने किटाणुओं को साझा करते हैं ।
- यदि स्कूल में जलशोधक है, तो इसके उपयोग के लिए निर्देश, सर्विसिंग समयसारिणी, इसके निकट प्रदर्शित होनी चाहिए ।

3.2 सफाई एवं स्वच्छता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए बच्चों में व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से परिवारों और वृहद समुदाय व्यवहार को प्रभावित कर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की क्षमता है । बच्चों के लिए प्रभावी स्वच्छता शिक्षा एक जीवन कौशल शिक्षा है, जो कि कमजोर स्वच्छता प्रथाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर तथ्यात्मक जानकारी के प्रावधान से परे है । जीवन-कौशल रणनीति, शिक्षण के व्याख्यान (लेक्चर) के तरीके के बजाय, परस्पर संवाद / संचार के माध्यम से बच्चों के स्वच्छता व्यवहार को बदलने पर केंद्रित है ।


व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित अच्छे व्यवहार के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना सभा (एसमंब्ली) के दौरान समूह परामर्श और परिचर्चा । इसके अलावा, विशेष रूप से बाल कैबिनेट सदस्यों द्वारा, हर बच्चे के अपनाये जा रहे स्वच्छता व्यवहार की निगरानी करना बहुत प्रभावी है । इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रति सप्ताह, एक समर्पित सत्र अति आवश्यक है, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहित किया जा सकता है और यह स्वभाव बच्चों के स्वच्छता व्यवहार को स्थापित करने में लम्बे समय तक कारगर होगा ।



मानक संचालन प्रक्रिया

व्यक्तिगत स्वच्छता

- पेशाब और शौच के लिए शौचालयों का उपयोग
- पेशाब और शौच के बाद, शौचालय में पानी डालना या फ्लश बटन का उपयोग करना
- शौच के पश्चात साबुन से हाथ धोना
- खाने से पहले, जानवरों के साथ खेलने के बाद, खेल मैदान के उपयोग और बच्चों के मल के निपटान पश्चात, साबुन से हाथ धोना
- जूते और चप्पल पहनना
- नाखून काटना
- रोज दांत ब्रश करना- सुबह और प्राथमिक तापर बिस्तर में जाने से पहले
- शरीर की साबुन से दैनिक स्नान
- सप्ताह में कम से कम एक बार बाल धोना



स्वच्छ भारत


स्वच्छ विद्यालय

एक राष्ट्रीय अभियान

शिक्षण विधियाँ जिन्हे, स्वच्छता शिक्षा देने के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है, निम्न प्रकार से हैं -

4-8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त तरीके	7-9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त तरीके	9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त तरीके
सुनना, पढ़ना और कहानी सुनाना	सुनना, पढ़ना और विश्लेषण, और कहानी सुनाना	नुक्कड़ नाटक, अभिनय / रोल प्ले, मूक अभिनय, कौशल प्रदर्शन
कवित्तारं पढ़ना और गाना सुनना	प्रतियोगता	विश्लेषण और कहानी लेखन
नाटक / लघु अभिनय प्रदर्शन	वार्तालाप और परिचर्चाएँ	समूह और कक्षा- परिचर्चा
कई तरह के कठपुतली नाटक देखना और इनमें भाग लेना	गायन और नृत्य	गाथन और नृत्य चित्रकला और रंगाई / पेन्टिंग
चित्रकारी / स्केच, पेन्टिंग, रंग भरना	विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाना	सामुहिक विचार विमर्श
वार्तालाप और चर्चा	चित्रकला और पेन्टिंग	भाषा और गणित संबंधी खेल
मिट्टी के साथ खेलना	रचना (कंपोजिशन) और रचनात्मक लेखन	स्कूल / समुदाय स्तरीय अवलोकन, मैपिंग या लर्निंग भ्रमण
सरल स्वच्छता कार्य	आपसी विचार विमर्श	प्रश्नोत्तरी / क्विज और पहेली
माता-पिता और परिवार के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतिकरण		साथी / सहेली और परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर अवलोकन और विश्लेषण

मानक संचालन प्रक्रिया



3.3 खाद्य स्वच्छता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

मानव शरीर के स्वस्थ और जिन्दा रहने के लिए पौष्टिक / स्वस्थ भोजन लेना आवश्यक है। संदूषित भोजन (जिसे "विषाक्त भोजन (फुड पोईजनिंग)" भी कहा जाता है), अतिसार / डायरिया रोग का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। इस संबंध में प्रदान की जाने वाली जानकारी और अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार है -

<p>शैक्षणिक तथ्य Theoretical Knowledge</p>	<p>अपेक्षित परिणाम</p>
<p>खाद्य स्वच्छता और रोग, आपस में जुड़े हुए हैं। भोजन को उपयुक्त रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। जब भोजन खराब / संदूषित हो, तो पहचानने योग्य संकेत उपलब्ध हैं।</p>	<p>बच्चों को भोजन को के से संग्रहित / स्टोर करना है, और खराब भोजन के सामान्य लक्षणों की पहचान / समझ है। कच्चे फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी या मछली को सही से उपचारित करके संग्रहित किया जाता है।</p>

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट

- खाद्य सामग्री का संधारण / प्रबंधन और तैयारी अत्यंत स्वच्छता के साथ किया जाना चाहिए।
- सभी भोजन संबंधित संचालकों को साफ रहना, धुले कपड़े पहनना, अपनी उंगलियों के नाखूनों को छोटे रखना, साफ करना चाहिए और काम शुरू करने से पहले, कच्चे या दूषित भोजन को स्पर्श करने व शौचालय का उपयोग करने के बाद हर बार हाथों को साबुन से धोना चाहिए।
- यदि रसोइये या सहायक भोजन के माध्यम से संचरित होने वाली किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, जैसे दस्त / डायरिया व उल्टी, संक्रमित घावों - त्वचा के संक्रमण, पीलिया या फोड़े से, तो उन्हें तुरंत अपने पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करना चाहिए।
- रसोइये / कुक और सहायकों को, भोजन संधारण / संभालने के दौरान, उनके चेहरे, सिर या बाल को छूने या खरोंचने से बचना चाहिए।
- चबाना, धूम्रपान करना, थूकना और नाक साफ करना परिसर के भीतर भोजन संधारण / संभालने के दौरान वर्जित होना चाहिए।
- जीवाणु (बैक्टीरिया) के संचरण से खाद्य संदूषण को बचाने के लिए रसोइया (कुक) और सहायकों द्वारा - खांसी / छींकने, शौचालय के उपयोग, टेलीफोन उपयोग, धूम्रपान आदि के पश्चात सुरक्षित हाथ धुलाई।
- हाथों से संबंधी कुछ आदतों से बचना चाहिए, जैसे - नाक को खरोंचना, बालों में उंगली फेरना, आंखों, कानों और मुंह को रगड़ना, दाढ़ी खरोंचना, भोजन के संचालन / प्रबंधन के दौरान शरीर के अंगों को खरोंचना आदि।



मानक संचालन प्रक्रिया

3.4 अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

अपशिष्ट प्रबंधन वाश कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए इसके निगरानी और प्रबंधन की उचित जानकारी, पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। ठोस कचरे, शौचालय से तरल कचरा, रसोई का कचरा, जमा / रुका हुआ पानी आदि का उचित वैज्ञानिक प्रबंधन - कीटाणु नियंत्रण में मदद करता है, और मच्छरों और मक्खियों के प्रजनन के नियंत्रण में सहायक है। इस संबंध में प्रदान की जाने वाली जानकारी (नालेड्ज) और अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं।

सैद्धांतिक तथ्य Knowledge	अपेक्षित परिणाम
<p>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रेड्यूस (कम करना) - उत्पादों की खपत 2. रीयूज (पुनर्उपयोग) - यदि संभव हो तो, प्लास्टिक का 3. रीसाईकिल (पुनर्चक्रण): अगर पुनर्उपयोग करना संभव नहीं है। <p>ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक और अकार्बनिक कचरे में अलग किया जाना चाहिए। कार्बनिक कचरे में गीला कचरा जैसे - खाना पकाने के क्षेत्र (रसोई) और दोपहर के भोजन के बाद थाल में बचे शेष, और सूखे कूड़े जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, पत्ते और लकड़ी से गीला अपशिष्ट होता है।</p> <p>कम्पोस्ट खाद गड्ढा, कार्बनिक कचरे के निपटान के लिए आदर्श समाधान है, क्योंकि यह गतिविधि कचरे का मूल्यसंवर्धन करती है, और इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।</p> <p>अकार्बनिक अपशिष्ट (जिसे न सड़ने - योग्य (नॉन-बायोडिग्रेडबुल) अपशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है) में आते हैं - खनिजों से संबंधित, रासायनिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक, मेटैलिक कंटेनर (जैसे टिन), बोटलें आदि। अकार्बनिक कचरे को स्वाभाविक रूप से अपघटित नहीं किया जा सकता है। इसके निपटान के लिए पुनर्चक्रण प्रक्रिया (रीसाईकिल) एक आदर्श समाधान है, अतः इसे पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाना चाहिए।</p> <p>इसी तरह, बेकार गन्दे पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, जिससे यह वेक्टर के प्रजनन के लिये अनुकूलन बन जाये। तरल कचरे के निपटान के लिये लीच पिट व सेप्टिक टैंक को उचित आउटलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।</p>	<p>ठोस कचरे को स्रोत पर ही अलग से एकत्र किया जाता है। कार्बनिक कचरे को गड्ढे में निपटाया जाना चाहिए, जहां यह स्वाभाविक रूप से अपघटित (सड़) हो जायेगा, और अकार्बनिक कचरे को रिसाइक्लिंग प्रक्रिया के लिए भेजा जाये।</p> <p>बेकार गन्दे पानी को, जमा नहीं होने देना चाहिए, और उचित निकासी / प्रणाली माध्यम से निपटान किया जाना चाहिए।</p> <p>अनुपचारित गन्दे पानी से हैजा पीलिया (हेपेटाइटिस), जैसी बीमारियां हो सकती हैं।</p> <p>कमजोर ठोस कचरा / अपशिष्ट निपटान - अवांछित कचरा भराव क्षेत्र / भूमि के रूप में या समुद्र के कूड़ा द्वीप के रूप में सामने आता है, और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है।</p>

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान

3.5 मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन, कि शोरावस्था में लड़कियों को माहवारी के प्रबंधन के उन तरीकों में प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित है, जो उन्हें संक्रमणों के खतरे में नही डालना है, जिनका उपचार न हो सके। स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित और विशिष्ट रूप से निर्मित शैक्षणिक वीडियो का उपयोग कर उनके स्वास्थ्य के ज्ञान (नॉलेडज) और व्यवहार को प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं।

प्रदान की जाने वाला जानकारी (नॉलेडज) और अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं -

संज्ञानात्मक तथ्य (Knowledge)	अपेक्षित परिणाम
मासिक धर्म का खून गंदा, अस्वच्छ व अशुद्ध नहीं है, यह गर्भाशय की परत से ढंका, के बलरक्त और ऊतकों का घोल होता है जो गर्भाशय की परत से ढंका होता है। मासिक धर्म के दौरान जननांगों की कमजोर स्वच्छता के कारण गंध होती है।	कि शोरावस्था में लड़कियां माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और कचरे के निपटान में उपयोग होने वाले वैज्ञानिक तरीकों से अवगत / सजग रहेंगी।

3.6 अभिभावकों और समुदाय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

अभिभावकों और समुदाय के सदस्य विद्यालय को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने और बच्चों को बेहतर स्वच्छ व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण और नजदीकी शहरी झुग्गी बस्तियों के शासकीय स्कूलों में सामुदायिक आयोजनों, कई बार शासकीय कार्यक्रमों जैसे कि मतदान के लिए, बाढ़ और चक्रवातों के दौरान अस्थायी आश्रय के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में स्कूल के जल, स्वच्छता व हाथ धोने की सुविधाओं को अधिक शतः टूट-फूट का सामना करना पड़ता है। यदि माता-पिता (अभिभावक) और ग्राम पंचायत के लोगों में स्कूल का स्वामित्व (ओनरशिप) है, तो फिर टूट-फूट की स्थिति से बचाया जा सकता है, इसलिए विद्यालय वॉश कार्यक्रम में समुदाय के सदस्यों और अभिभावकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय समितियों माता-पिता (अभिभावक) और समुदाय की भूमिका

- ◆ योजना निर्माण और किर्यान्वयन के दौरान प्रमुख भागीदार।
- ◆ वाश सुविधाओं के लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए "स्कूल मेंटैनेन्स अनुदान" के पूरक / अतिरिक्त रूप में वित्तीय सहयोग।
- ◆ वाश सुविधाओं की कार्यशीलता का निरीक्षण और उनके संचालन और रखरखाव के लिए समुदाय-आधारित निगरानी प्रणाली।
- ◆ आपातकाल के दौरान सुविधाओं के उपयोग का समन्वय।

मानक संचालन प्रक्रिया

3.7 संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एन) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

शाला प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों के साथ - साथ स्कूल के शिक्षकों को स्कूल संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एन) समय - सारणी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जिला, बी आर सी व सी आर सी स्टाफ को, समय - समय पर "स्कूल द्वारा रखरखाव की अनुपालना सही मायने में सुनिश्चित की जा रही है, या नहीं" की पुष्टि हेतु, स्कूल भ्रमण की योजना बनानी होगी। इस उद्देश्य के लिए, सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त स्तर पर, एक पर्यवेक्षक (सूपरवेजर) को नामित करें, जो केंद्रों पर जाकर, उचित आगे की कार्यवाही (फोलो-अप) के लिए पर्याप्त अवलोकन करें। रखरखाव अनुसूची हेतु एक सामान्य चेक लिस्ट निम्नानुसार है -

3.7.1 दैनिक रखरखाव

- रसोईघर, कक्षाओं और स्टाफ कमरों के फर्श की सामान्य सफाई।
- पूरे स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार के जल - जमाव की सफाई करना।
- बच्चों के लिए सामान्य स्टोरेज / अलमारी, मेंज, बेंच, खिलौने / पुस्तक स्टोर की धूल की सफाई।
- सुनिश्चित करें कि हाथ धुलाई के बिंदु पर साबुन और पानी हमेशा उपलब्ध हैं।
- सुनिश्चित करें कि सभी शौचालय व मूत्रालय और पेयजल बिन्दु, उपयोग करने योग्य और कार्यशील हैं।
- सुनिश्चित करें कि सभी शौचालय और मूत्रालय स्वच्छ हैं।
- सभी दरवाजों, खिड़कियों और अलमारी आदी के कमजोर / ढीले तालों और शटर की जांच करें।



3.7.2 मासिक रखरखाव

- सभी उपकरणों और दीवारों से धूल की सफाई आदि।
- परिसर में पड़े मलबे, कचरे व बिल्डिंग अपशेष को हटा दे।
- खुले मैदान में कि सी भी जल जमाव को देखें।
- मैदान, परिसर और परिसर की नालियों में जल अवरोध की जांच करें।
- दीवारों (विशेषकर कोनों और किनारों), दरवाजों, खिड़कियां, अलमारी के किवाड़ों से, नम कपड़े या डिटर्जेंट पाउडर से भीगे कपड़े से दागों और निशानों को दूर करें।
- दीवारों, छत और फर्श पर कि सी भी नमी / सीलन की जांच करें।
- भवन में कि सी दीमक के लिए जांच करें।
- सभी दरवाजों, खिड़कियां और अलमारियों के हार्डवेयर के उचित संचालन की जांच करें।
- दीवारों और छतों पर दरारों की जांच करें।
- जांचें कि क्या मुख्य जल भंडारण टैंक ढका / कवर है। और आउटलेट लीक तो नहीं कर रहे हैं, और संग्रहित पानी स्वच्छ है।
- जांचें कि क्या सभी मैनहोल कवर निरीक्षण चेम्बर कवर सही स्थान पर हैं, और क्षतिग्रस्त नहीं है।
- सभी नल, वाल्व, फ्लशिंग सिस्टम की रिसाव के लिए जांच आदि।
- नालियों, सीवेज पाइप और अपशिष्ट (गन्धे) पानी की लाइनों में कि सी भी रूकावट की जांच करें।
- जांचें कि क्या प्राथमिक चिकित्सा किट (फस्ट ऐड किट) अप-टू-डेट और दवाइयां उनकी समाप्ति तिथि के अन्दर हैं। आवश्यकता के अनुसार पुनः पूर्ति करें।
- सभी दरवाजों और खिड़कियों के कुंडों, कब्जों, पेंचों और अन्य हार्डवेयर की जांच।
- सभी पंखों, ट्यूब लाइट व बल्बों से धूल साफ करें।

मानक संचालन प्रक्रिया

3.7.3 मौसमी / तिमाही रखरखाव (मानसून पूर्व)

- पानी की टंकी को रिसाव आदि के लिए पूरी तरह से जांच करें। इसे सीमेंट या सीलेंट से सील करें और इसे नियमित अंतराल पर साफ करें।
- भूमिगत टैंक को जांचें कि क्या टैंक का कवर और किनारे बरकरार / मजबूत हैं और आसपास की जमीन के स्तर से पर्याप्त रूप से ऊपर उठे हैं।
- छत व पानी के आउटलेट की पूरी सफाई, दरारें, टूटे हुए जोड़ों, मुण्डेर, छज्जे आदि की जांच करना, छतों के रिसाव / लीक की जांच और मरम्मत।
- स्कूल के खुले मैदान का समतलीकरण और सफाई।
- विद्युत लाइनों और अर्थिंग (यदि सम्बद्ध हो) की जांच।
- क्लिन कूलर (यदि कोई हो), पानी की टंकी, परिवर्तन, पैड तथा सभी विद्युत प्रणालियों की जांच करें। ऊपरोक्त बिन्दुओं अनुसार जल संग्रहण टैंकों की पूरी सफाई।

3.7.4 वार्षिक रखरखाव


- छुट्टियों के दौरान सामान्य मरम्मत और रखरखाव का काम
- संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मरम्मत और प्लास्टर का काम
- संबद्ध पेंटिंग का काम
- सीवेज और अपशिष्ट जल निकासी लाइनों की पूर्ण / सघन सफाई
- निरीक्षण और जंक्शन चेम्बर की पूर्ण / सघन सफाई, यदि कोई रिसाव / लीक है तो उसकी मरम्मत।
- सेप्टिक टैंक / लीच गड्ढों की पूर्ण / सघन सफाई।
- संबधित विद्युत लाइनों और अर्थिंग की बडी मरम्मत।

3.7.4 वार्षिक रखरखाव


- छुट्टियों के दौरान सामान्य मरम्मत और रखरखाव का काम
- संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मरम्मत और प्लास्टर का काम
- संबद्ध पेंटिंग का काम
- सीवेज और अपशिष्ट जल निकासी लाइनों की पूर्ण / सघन सफाई
- निरीक्षण और जंक्शन चेम्बर की पूर्ण / सघन सफाई, यदि कोई रिसाव / लीक है तो उसकी मरम्मत।
- सेप्टिक टैंक / लीच गड्ढों की पूर्ण / सघन सफाई।
- संबधित विद्युत लाइनों और अर्थिंग की बडी मरम्मत।



स्वच्छ भारत
स्वच्छ विद्यालय
एक राष्ट्रीय अभियान




मानक संचालन प्रक्रिया



उत्कर्मित मध्य विद्यालय मालीपलगाँव
 गाँव - मोरवा (40), जिला - मोरवा
बाल आसद के अभिया के मास

क्र०सं०	नाम	वर्ग	पदनाम
01.	मुरलीधर मंडल	VIII	अध्यक्ष
02.	सोनी कुमारी	VIII	प्रचारमन्त्री
03.	गुलशन कुमार	VIII	स्वास्थ्य मंत्री
04.	मणिकान्त मंडल	VIII	सुरक्षा एवं व्याज मंत्री
05.	अनोखा कुमारी	V	पोषण मंत्री
06.	बसन्ती कुमारी	VII	उद्योगिक मंत्री
07.	रचना कुमारी	VIII	स्वच्छता मंत्री
08.	दशरथ कुमार मंडल	VIII	शिक्षा मंत्री
09.	हरिश्चन्द्र मंडल	VIII	कोशल विज्ञान मंत्री
10.	छोटी कुमारी	VII	पर्यावरण मंत्री
11.	प्रीति कुमारी	VIII	खेलकण्ड मंत्री संस्कृति मंत्री
12.	डीयस कुमार	VII	संचार एवं संपर्क मंत्री



58

स्वच्छ भारत
स्वच्छ विद्यालय
एक राष्ट्रीय अभियान



निष्कर्ष

स्कूलों में वाश कार्यक्रम, स्वच्छता व्यवहार की ओर सुविधाओं, प्रक्रियाओं व स्वभाव के निर्माण में एक समग्र (होलिस्टिक) एप्रोच है। वाश के क्षेत्र में अधिकांशतः अध्ययन, इसके क्रियान्वयन से बच्चों में आये सकात्मक स्वास्थ्य संबंधित लाभों का समर्थन करते हैं, जिससे स्कूलों में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार होता है।

बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर वाश के सकात्मक प्रभाव को देखते हुए, यह प्रासंगिक है कि वाश संबंधित पाठ्यक्रम बच्चों की दैनिक शिक्षण कार्यसारी में एकीकृत कि या जाना चाहिए। यदि सैद्धांतिक ज्ञान का प्रसार व्यावहारिक सीख के साथ मिलाकर कि या जाता है, तो एस ओ पी की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है, और इसे बच्चों के लिए अधिक मनोरंजक बनाया जा सकता है, निम्न हैं:

वाश संबंधित पाठ्यक्रम के लिए सप्ताह सारणी	
सोमवार	व्यक्तिगत स्वच्छता
मंगलवार	भोजन में स्वच्छता
बुधवार	पीने के पानी का सुरक्षित रखरखाव / व्यवहार
बृहस्पतिवार	कचरा प्रबंधन
शुक्रवार	महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन
शनिवार	अभिभावक और समुदाय के साथ कार्य / गतिविधियां

स्कूलों के वाश कार्यक्रमों की सततता और हमारे विद्यालयों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए, ज्ञान और व्यवहार के प्रसार के लिए, सबसे प्रभावी माध्यम हैं - सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान प्रधान अध्यापक व विद्यार्थियों द्वारा / संबोधन संवाद, शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षाओं में वाश विषयों एकीकरण/ समावेश, वाश के विषय से संबंधित खेलों का क्रियान्वयन, महीने में एक शनिवार को वाश के लिए समर्पित करना - जैसे कि प्रतियोगिताओं और समुदाय आदि से संबंधित पाठ्य अतिरिक्त गतिविधियां। उपरोक्त बच्चे के अनुकूल बहुविषयक पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन कौशल, सामुदायिक गतिविधियों और पीयर (साथी) - से-पीयर (साथी) परस्पर संवाद / इंटरैक्शन पर केंद्रित है, जो बच्चों की भागीदारी में वृद्धि करता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम स्वाभाविक / सहज रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं, अवसरों और सूचनाओं तक पहुंच से जुड़ा हुआ है।



मानक संचालन प्रक्रिया



रिफ रेन्सेस

1. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पुस्तिका। MHRD.
2. A companion to the Child Friendly Schools Manual, यूनिसेफ
3. Towards Better Programming towards Better Programming "A Manual on School", यूनिसेफ
4. A Teacher's Guide to Integrating WASH in School, Washington DC, WASH Plus
5. Swachh Pathshala, WASH in Schools, Resource Persons Guide for Telangana SSA, ASCI
6. Sustainable Development Goals, UNDP



रिफ रेन्सेस

1. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पुस्तिका। MHRD.
2. A companion to the Child Friendly Schools Manual, यूनिसेफ
3. Towards Better Programming towards Better Programming "A Manual on School", यूनिसेफ
4. A Teacher's Guide to Integrating WASH in School, Washington DC, WASH Plus
5. Swachh Pathshala, WASH in Schools, Resource Persons Guide for Telangana SSA, ASCI
6. Sustainable Development Goals, UNDP

रिफ रेन्सेस




1. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पुस्तिका। MHRD.
2. A companion to the Child Friendly Schools Manual, यूनिसेफ
3. Towards Better Programming towards Better Programming "A Manual on School", यूनिसेफ
4. A Teacher's Guide to Integrating WASH in School, Washington DC, WASH Plus
5. Swachh Pathshala, WASH in Schools, Resource Persons Guide for Telangana SSA, ASCI
6. Sustainable Development Goals, UNDP





Technical & Knowledge Partners
तकनीकी व नोलज पार्टनर :



asci
Leadership through Learning

(T-cell)